

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 298 | श्री विजयपुरम, शनिवार, 07 नवंबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए



चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

लखनऊ और अण्डमान ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस एवं देशभक्ति के प्रतीक : डॉ. दिनेश शर्मा

सेल्यूलर जेल कहती है स्वतंत्रता सेनानियों के दमन यातना व बलिदान की कहानी

स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दण्ड देने के लिए बनी थी दण्ड बस्ती

अण्डमान की जेल थी राजनैतिक क़ैदियों के दमन का प्रमुख केन्द्र









लखनऊ/श्रीविजयपुरम, 6 नवम्बर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि अण्डमान और लखनऊ दोनो ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस बलिदान और देशभक्ति के प्रतीक रहे हैं। अण्डमान की सेल्यूलर जेल जहां स्वतंत्रता सेनानियों के दमन, यातना और बलिदान की कहानी कहती है वहीं लखनऊ 1857 की क्रान्ति का ऐसा प्रमुख केन्द्र था जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज़ादी की जो अलख 1857 में लगी थी अण्डमान जेल ने उसी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों को अपने भीतर संजोया हुआ है।

कालीचरण डिग्री कालेज में स्वतंत्रता आन्दोलन में अण्डमान–निकोबार के महत्व पर आयोजित संगोष्ठी में माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और सौंदर्य से भरपूर अण्डमान द्वीप की जेल का ब्रिटिश शासन ने क्रान्तिकारियों को दबाने और प्रताडित करने के लिए प्रयोग किया था। यहां पर वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त जैसे सेनानियों को रख कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ब्रिटिश शासन क्रान्तिकारियों को मुख्यधारा से दूर रखने के लिए इस जेल का प्रयोग किया करता था तथा यहां पर उन्हे कठोर दण्ड देने के लिए दण्ड बस्ती बनाई गई। इसलिए ही इसे काला पानी भी कहा गया। अण्डमान की जेल राजनैतिक क़ैदियों के दमन का प्रमुख केन्द्र रही थी। अण्डमान और लखनऊ के साहित्यिक सम्बंध भी रहे हैं। अण्डमान की दण्ड बस्ती और क़ैदियों की यातना की जानकारी देने वाली लखनऊ निवासी मोहम्मद ज़फ़र की 1892 में लिखी गईं पुस्तक "ब्लैक वाटर : द स्ट्रेन्ज हिस्ट्री ऑफ पोर्ट ब्लेयर" का प्रकाशन लखनऊ के ही प्रकाशक मुंशी नवल किशोर प्रेस ने किया था। वर्ष 1909 एवं 1938 के बीच में अण्डमान की सेल्यूलर जेल में बन्द रहे 585 क्रान्तिकारियों में से 18 उत्तर प्रदेश के निवासी थे।

इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक इं. वी.के. मिश्रा जी, प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, प्राचार्य प्रो. चंद्रमोहन उपाध्याय जी एवं स्थानीय पार्षदगण उपस्थित रहे।

शुभकामनाएँ



पंचोत्सव के पावन एवं हर्षोल्लासपूर्ण अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समस्त द्वीपवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

पंचोत्सव पाँच दिनों तक चलने वाले उत्सवों की एक सुंदर श्रृंखला है, जिसका शुभारंभ धनतेरस से होता है। इसके अंतर्गत धनतेरस, छोटी दीपावली अथवा नरक चतुर्दशी, दीपावली अर्थात् लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट तथा भाई दूज जैसे पावन पर्व मनाए जाते हैं। ये सभी पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं तथा पारिवारिक एकता, प्रेम और आपसी सद्भाव के प्रतीक हैं। साथ ही, ये हमें सत्य, सदाचार, करुणा एवं पारस्परिक सम्मान जैसे शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करने तथा समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा देते हैं।

इन त्योहारों के प्रकाश से हमारे घर–आँगन और जीवन सुख, शांति, आशा एवं सकारात्मक ऊर्जा से आलोकित हों। आइए, हम इन पावन पर्वों को सद्भावना एवं हर्षोल्लास के साथ मनाएँ, ज़रूरतमंद एवं वंचित लोगों की सहायता करें तथा आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर अपने द्वीपसमूह के सामूहिक कल्याण एवं प्रगति के लिए मिलकर कार्य करें। साथ ही, हम एक शांतिपूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करें, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने और द्वीपसमूह के विकास में योगदान देने के समान अवसर प्राप्त हों।

इस हर्षोल्लासपूर्ण अवसर पर मैं द्वीपसमूह के सभी द्वीपवासियों एवं उनके परिवारजनों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करता हूँ। पंचोत्सव का यह पावन पर्व सभी के जीवन में नई आशाएँ और असंख्य संभावनाएँ लेकर आए तथा हमारा यह रमणीय द्वीपसमूह शांति, समावेशी विकास और सतत् प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे।

पंचोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ!

(डॉ. दिनेश शर्मा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

'विकसित भारत युवा संवाद–अपना मत जानें' कार्यक्रम में युवाओं को मतदान के प्रति किया जागरूक





श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माई भारत), श्री विजयपुरम द्वारा कल जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) की व्याख्यान दीर्घा में 'विकसित भारत युवा संवाद– अपना मत जानें' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माई भारत के लगभग 300 विद्यार्थियों एवं युवाओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में निर्वाचन संबंधी जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा ज़िम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जेएनआरएम की प्राचार्या श्रीमती पर्ल देवदास सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुईं। माई भारत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संयुक्त निदेशक श्री सुख रंजन बिस्वास ने उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का औपचारिक स्वागत किया। अपने संबोधन में माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने प्रत्येक मत के महत्व एवं उसकी शक्ति

शेष पृष्ठ 4 पर

दक्षिण अण्डमान ज़िला योजना समिति की बैठक 10 एवं 11 नवंबर को

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान ज़िला (कैम्पबेल बे राजस्व क्षेत्र सहित) की ज़िला योजना समिति की बैठक 10 एवं 11 नवंबर को ज़िला परिषद, दक्षिण अण्डमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद के अध्यक्ष श्री पी. उम्मर करेंगे। बैठक में ज़िला योजना समिति के सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के योजना कार्यान्वयन से संबंधित विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2027–2028 के लिए प्राथमिकता आधारित ज़िला कार्ययोजना को तैयार कर अंतिम रूप देना तथा वर्ष 2026–2027 के लिए दक्षिण अण्डमान ज़िले (कैम्पबेल बे राजस्व क्षेत्र सहित) की पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की कार्ययोजना की प्राथमिकताएं निर्धारित करना है।

बैठक का कार्यक्रम निम्नानुसार है:

10 नवंबर को: शिक्षा विभाग, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), अण्डमान कॉलेज (एनकॉल), डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), टैगोर कॉलेज, विधि महाविद्यालय, खेल एवं युवा कार्य, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा, मत्स्य, कृषि, आपदा प्रबंधन, समाज कल्याण, अण्डमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था, ज़िला प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विद्युत विभाग तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

11 नवंबर को: जहाजरानी विभाग, पत्तन प्रबंध बोर्ड, परिवहन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग, राजकीय मुद्रणालय, स्वास्थ्य विभाग, श्रम, रोज़गार एवं प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद (एसवीपीएमसी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पुलिस एवं अग्निशमन सेवा, कला एवं संस्कृति विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, कार्मिक (नकद), लेखा एवं बजट, विधि विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) विभाग। यह जानकारी दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में

माननीय सांसद ने द्वीपों में 13 जेटियों के पुनर्निर्माण, चार नए जहाज़ों की खरीद तथा जहाज़ निर्माण शाला की स्थापना के मुद्दे उठाए





श्री विजयपुरम, 6 नवम्बर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने 3 नवंबर, 2026 को ओडिशा के पुरी में आयोजित पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। बैठक के दौरान माननीय सांसद ने द्वीपसमूह के समुद्री आधारभूत ढांचे एवं जहाज़रानी संपर्क व्यवस्था से संबंधित तीन महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इनमें 13 जेटियों का पुनर्निर्माण, 4 नए जहाज़ों की खरीद तथा बम्बूफ़्लैट स्थित एटीआई भूमि पर जहाज़ निर्माण शाला की स्थापना शामिल है। माननीय सांसद ने मंत्रालय से आग्रह किया कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की 13 जेटियों के तत्काल पुनर्निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति दी जाए। उन्होंने बताया कि अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू) द्वारा इन जेटियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा लगभग 750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के प्रस्ताव एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पहले ही मंत्रालय को प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

इन कार्यों की तात्कालिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में ये जेटियां अत्यंत जर्जर एवं खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे जनसुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है तथा द्वीपवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि जेटियां द्वीपसमूह की जीवनरेखा हैं, क्योंकि विशेषकर दूर–दराज़ के द्वीपों में आवश्यक वस्तुओं, सामान, सामग्री एवं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख माध्यम जहाज़रानी ही है। माननीय सांसद ने तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाली 13 जेटियों की सूची भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की। इनमें लॉन्ग आइलैंड जेटी, स्वराज द्वीप जेटी, येराटा जेटी, डिगलीपुर जेटी, ईस्ट आइलैंड जेटी, चैंपिन जेटी, रंगत जेटी, चाथम घाट, पानीघाट जेटी, मायाबंदर घाट, एनएससीबी जेटी, चेन नाला जेटी तथा अबर्डीन जेटी शामिल हैं। उन्होंने इन जेटियों की वर्तमान दयनीय स्थिति को दर्शाने वाले छायाचित्र भी प्रस्तुत किए तथा मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने और धनराशि जारी करने का अनुरोध किया।

शेष पृष्ठ 4 पर

'विकसित भारत युवा संवाद–अपना मत जानें'

——————————पृष्ठ 1 का शेष

पर विशेष बल दिया, खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के संदर्भ में। उन्होंने प्रतिभागी युवाओं से पूछा कि क्या उन्होंने मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने युवाओं को बिना किसी देरी के अपना मतदाता पंजीकरण पूरा करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ज़िम्मेदार भागीदार बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मत समान रूप से महत्वपूर्ण है तथा सोच–समझकर और स्वतंत्र रूप से दिया गया मत नागरिकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के कल्याण एवं विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का चयन करने में सक्षम बनाता है। चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए माननीय सांसद ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य दोहरी प्रविष्टियों, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण तथा मृत व्यक्तियों के नामों की पहचान कर वास्तविक एवं सटीक मतदाता सूची बनाए रखना है। उन्होंने यह भी बताया कि द्वीपसमूह में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 52,000 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने सलाह दी कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें अथवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण सुविधा के माध्यम से आवेदन करें। माननीय सांसद ने युवाओं से सीधे संवाद भी किया तथा विभिन्न विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान यूथ आइकन श्री टी. हरिश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा 'अपना मत जानें' विषय पर एक जानकारीपूर्ण पावरपॉइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने एसआईआर की कानूनी रूपरेखा एवं इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित युवाओं को 'अपना मत जानें' की शपथ भी दिलाई गई। इस शपथ के माध्यम से युवाओं को जागरूक एवं ज़िम्मेदार मतदाता बनने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने, संविधान का सम्मान करने तथा भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

माननीय सांसद ने द्वीपों में 13 जेटियों के

——————————पृष्ठ 1 का शेष

माननीय सांसद ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा मंत्रालय को पहले ही प्रस्तुत चार नए यात्री–सह–मालवाहक जहाज़ों के निर्माण एवं अधिग्रहण संबंधी लंबित प्रस्ताव को भी पुरजोर तरीके से उठाया। प्रत्येक जहाज़ की क्षमता 500 यात्रियों तथा 150 मीट्रिक टन माल ढोने की प्रस्तावित है। प्रत्येक जहाज़ की अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपये है तथा चारों जहाज़ों की कुल परियोजना लागत 1,800 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। ये नए जहाज़ वर्तमान में संचालित चार जहाज़ों एमवी भारत सीमा, एमवी सेंटिनल, एमवी चावरा तथा एमवी डेरिंग के स्थान पर लाए जाने प्रस्तावित हैं, जिन्हें वर्ष 2027 से 2029 के दौरान सेवा से हटाया जाना निर्धारित है। उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि प्रस्तावित एमवी नालंदा मॉडल के जहाज़ों के निर्माण एवं अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक धनराशि मंजूर की जाए, ताकि अंतर–द्वीपीय जहाज़रानी संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और द्वीपवासियों को विश्वसनीय परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। माननीय सांसद ने ज़ोर देकर कहा कि जेटियों का समयबद्ध पुनर्निर्माण तथा जहाज़रानी बेड़े की क्षमता में वृद्धि सुरक्षित, विश्वसनीय एवं निर्बाध परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ–साथ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समग्र संपर्क व्यवस्था एवं विकास को गति प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चारों श्रम संहिताओं के प्रारूप नियमों पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

श्रम विभाग ने इससे पूर्व चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत प्रारूप नियमों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://labour.and.nic.in/) पर क्रमशः 28 जनवरी, 2026, 16 फरवरी, 2026, 13 अप्रैल, 2026 तथा 2 जून, 2026 को प्रकाशित किया था। इन चार श्रम संहिताओं में वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 शामिल हैं।

इन प्रस्तावित नियमों से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित प्रारूप नियमों के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। हालांकि, निर्धारित अवधि के भीतर उक्त प्रकाशनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

श्रम विभाग अब चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप देने तथा अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया के तहत सभी हितधारकों, जिनमें नियोक्ता, कर्मचारी, श्रमिक संघ, प्रतिष्ठान तथा प्रस्तावित नियमों से प्रभावित होने की संभावना वाले अन्य व्यक्ति शामिल हैं, को एक और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग ने चारों श्रम संहिताओं के प्रारूप नियमों के संबंध में पुनः आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं।

अतः सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां एवं सुझाव श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सप्लाई लाइन, श्री विजयपुरम–744101 के पते पर अथवा ई–मेल lcdet@and.nic.in के माध्यम से भेजें।

प्राप्त विज्ञप्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित 10 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। सभी हितधारकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाकर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, ताकि विभाग चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को तदनुसार अंतिम रूप दे सके।

दीपावली के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने किए व्यापक सुरक्षा प्रबंध

श्री विजयपुरम, 6 नवम्बर।

आगामी दीपावली पर्व के मद्देनज़र दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं किसी भी अप्रिय घटना से मुक्त उत्सव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। तैयारियों के तहत सभी पुलिस थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों, बाज़ार संघों, धार्मिक नेताओं तथा समाज के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इन बैठकों का उद्देश्य सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना तथा पुलिस और आम जनता के बीच समन्वय को और मजबूत करना है।



प्रभावी सुरक्षा एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार क्षेत्रों, आवासीय इलाकों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन मोबाइल गश्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक आवागमन वाले स्थानों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रिय उपस्थिति बढ़ाने और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष पुलिस दलों द्वारा पैदल गश्त भी की जा रही है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस ने सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए हैं तथा पूरे ज़िले में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस का पूरा बल सतर्क है और पुलिस कर्मियों की प्रभावी तैनाती, किसी भी अप्रिय घटना पर त्वरित कार्रवाई तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के साथ निकट समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ज़िले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पूरे क्षेत्र में दीपावली का पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के लिए दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आम जनता से पुलिस के साथ सहयोग करने तथा शांति, सद्भाव और जनसुरक्षा बनाए रखते हुए ज़िम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने का अनुरोध किया गया है। दक्षिण अण्डमान ज़िला पुलिस सभी को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं आनंदमय दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई हेतु 112 नंबर पर संपर्क करें।

कार निकोबार की आई. एस. ब्रिडनी ने राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

नारियल किसान की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया द्वीपसमूह का नाम, 500 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में सात वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

श्री विजयपुरम, 6 नवम्बर।

कार निकोबार की युवा साइकिलिस्ट आई. एस. ब्रिडनी ने झारखंड के रांची स्थित खेलगांव में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2026 तक आयोजित 41वीं सब–जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में सब–जूनियर बालिका व्यक्तिगत टाइम ट्रायल (500 मीटर) स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को गौरवान्वित किया है।





आई. एस. ब्रिडनी ने इस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 37.479 सेकंड का समय दर्ज किया और पश्चिम बंगाल की सुश्री त्रियाशा पॉल द्वारा वर्ष 2019 में बनाए गए 38.700 सेकंड के सात वर्ष पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए अग्रणी साइकिलिस्टों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।

एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली आई. एस. ब्रिडनी नारियल की खेती करने वाले किसान की बेटी हैं। उनकी साइक्लिंग यात्रा वर्ष 2023 में कार निकोबार स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) से शुरू हुई, जहां उन्हें प्रशिक्षक श्री विश्वजीत बालकृष्ण सुतार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनकी लगन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप लगभग तीन महीने पहले उनका चयन नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) में हुआ। वर्तमान में वह विदेशी प्रशिक्षक मार्क पैकर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

इससे पहले, दिसंबर 2025 में उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में उन्होंने अंडर–16/सब–जूनियर बालिका व्यक्तिगत टाइम ट्रायल तथा टीम स्प्रिंट स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किए थे। नवंबर 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में उन्होंने यूथ बालिका वर्ग की 500 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।

साइक्लिंग में उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए उन्हें 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय उप राज्यपाल की अनुशंसा पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 तथा जनवरी 2026 में झारखंड के रांची में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में उन्होंने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक भी अपने नाम किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार निकोबार से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने तक की उनकी यह उल्लेखनीय यात्रा उनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और द्वीपसमूह में मौजूद अपार खेल प्रतिभा को दर्शाती है। उनकी उपलब्धि विशेष रूप से दूर–दराज़ के क्षेत्रों की उभरती हुई बालिका खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी इस पूरी यात्रा और सफलता का श्रेय साई क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता के क्षेत्रीय निदेशक श्री शिवानंद मिश्रा तथा उनके प्रशिक्षकों श्री विश्वजीत बालकृष्ण सुतार और श्री आनंद वी. के प्रयासों एवं सहयोग को जाता है।

राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक प्रतियोगिता में द्वीपों के खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक

4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य पदक

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि द्वीपों की साइकिलिंग टीम ने 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर एवं 41वीं सब–जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप–2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक (4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य) जीतने की अस्थायी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2026 तक झारखंड के रांची स्थित खेलगांव (मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स), होटवार के सिद्धू–कान्हू वेलोड्रोम में किया गया।

इस प्रतियोगिता में सब–जूनियर बालिका व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया।

द्वीपों के साइकिलिंग खिलाड़ियों की पदकवार उपलब्धियां

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	स्पर्धा	उपलब्धि
1	एसोव	पुरुष 200 मीटर स्प्रिंट	स्वर्ण
2	एसोव, चेम्बरलेन एवं डेविड बेकहम	पुरुष टीम स्प्रिंट	स्वर्ण
3	एसोव	पुरुष कीरिन	रजत
4	डेविड बेकहम	पुरुष टाइम ट्रायल	कांस्य
5	डेविड बेकहम	पुरुष स्प्रिंट	कांस्य
6	डेविड बेकहम	पुरुष कीरिन	कांस्य
7	सेलेस्टीन	महिला एलीट टाइम ट्रायल	कांस्य
8	लियोनार्ड बैकर, सॉ जेकरियाह एवं डेरिकस	पुरुष जूनियर टीम स्प्रिंट	कांस्य
9	नमिता वायलेट	महिला जूनियर 200 मीटर स्प्रिंट	स्वर्ण
10	फेथ, ब्रिटनी एवं नमिता वायलेट	महिला जूनियर टीम स्प्रिंट	कांस्य
11	आई. एस. ब्रिडनी	बालिका सब–जूनियर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल	स्वर्ण– नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड (37.479 सेकंड)
12	मेस्सी कार्टसन	बालक सब–जूनियर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल	रजत (35.112 सेकंड)

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार द्वीपों के साइकिलिंग खिलाड़ियों का यह शानदार प्रदर्शन उनके समर्पण, अनुशासन, दृढ़ संकल्प एवं खेल उत्कृष्टता को दर्शाता है। नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने की उपलब्धि ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का गौरव और बढ़ा दिया है। खेल एवं युवा कार्य विभाग ने सभी पदक विजेताओं, प्रशिक्षकों, सहयोगी कर्मचारियों तथा टीम की इस सफलता से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी है।

जेएनआरएम में निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं हुईं

श्री विजयपुरम, 6 नवम्बर।

निर्वाचन संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग की विभिन्न पहलों के अनुरूप निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी), जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) द्वारा आज जेएनआरएम के व्याख्यान दीर्घा में निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

निबंध लेखन प्रतियोगिता में कुल 25 विद्यार्थियों ने 'मतदान का महत्व' तथा 'निर्वाचक नामावली का महत्व' विषयों पर भाग लिया। वहीं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 30 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें दो–दो सदस्यों वाली कुल 15 टीमें शामिल थीं। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्वाचन संबंधी जागरूकता और ज़िम्मेदार नागरिक सहभागिता के महत्व से अवगत कराया।

इस अवसर पर ईएलसी के समन्वयक डॉ. आर.पी. पलानी सामी ने परिचयात्मक संबोधन दिया। ईएलसी के अन्य सदस्य श्री जेम्स लुनमिंटांग वैफेई एवं डॉ. दीपंकर डे ने निबंध प्रतियोगिता का संचालन किया, जबकि डॉ. तमिल भारथन एवं डॉ. महिमा जिंदल ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का संचालन किया। सम्पूर्ण कार्यक्रम का आयोजन डॉ. एन. बालकृष्णन, सह–प्राध्यापक एवं समन्वयक, निर्वाचन साक्षरता क्लब, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समग्र पर्यवेक्षण में किया गया।



कार्बाइन्स कोव में नगरपालिका परिषद ने एक्वेरियम शुरू किया, पर्यटक देख सकेंगे द्वीपों की रंग–बिरंगी मछलियां

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने कार्बाइन्स कोव में एक्वेरियम (जलजीवशाला) शुरू किया है। इसके माध्यम से द्वीपवासी, पर्यटक एवं आगंतुक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में पाई जाने वाली स्थानीय मछलियों की समृद्ध विविधता को देखने और उनके बारे में जानने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विशिष्ट समुद्री जैव विविधता के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों के लिए एक शैक्षणिक एवं मनोरंजक आकर्षण उपलब्ध कराना है।

एक्वेरियम आगंतुकों के लिए प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। एक्वेरियम में प्रवेश शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

– 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क।
– 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति।
– 12 वर्ष से अधिक आयु के आगंतुकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग एक्वेरियम के संचालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चों को पूरा करने तथा इसकी उचित देखभाल एवं आम जनता के लिए निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में किया जाएगा। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद ने सभी लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध समुद्री विविधता का अनुभव करने की अपील की है।



सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

दीपावली पर्व के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी परामर्श–आम जनता एवं पटाखा दुकानदारों से अपील

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ सभी द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देती हैं तथा आम जनता से अपील करती हैं कि वे इस पर्व को हर्ष, उल्लास और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा के साथ मनाएँ।

दीपावली प्रकाश एवं उत्सव का पर्व है। तथापि, पटाखों का अनुचित रखरखाव एवं भंडारण, आतिशबाजी करते समय लापरवाही तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव आग दुर्घटनाओं, चोटों एवं संपत्ति की क्षति का कारण बन सकता है। सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं दुर्घटनामुक्त दीपावली सुनिश्चित करने के लिए आम जनता के साथ–साथ आतिशबाजी की सामग्री रखने, भंडारण करने एवं बिक्री करने वाले सभी व्यक्तियों को निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है।

क. आम जनता के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

क्या करें:

* केवल अधिकृत विक्रेताओं से गुणवत्तापूर्ण एवं विधिक रूप से अनुमोदित पटाखे खरीदें।
* पटाखे केवल खुले स्थानों, जैसे पार्क या बड़े मैदानों में, भवनों, वाहनों एवं ज्वलनशील पदार्थों से दूर जलाएँ।
* आकस्मिक आग से निपटने के लिए पानी एवं रेत से भरी बाल्टियाँ आसानी से उपलब्ध रखें।
* पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनने को प्राथमिकता दें, क्योंकि कृत्रिम एवं ढीले कपड़ों में आसानी से आग लग सकती है।
* सुनिश्चित करें कि बच्चे केवल वयस्कों की निकट निगरानी में ही पटाखे जलाएँ।
* पटाखे जलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा जब तक पटाखे विशेष रूप से हाथ में पकड़कर जलाने के लिए निर्मित न हों, उन्हें हाथ में पकड़कर कभी न जलाएँ।
* इस्तेमाल किए गए पटाखों को फेंकने से पहले पानी में भिगोकर सुरक्षित तरीके से नष्ट करें।
* पटाखे जलाने से पहले हवा की दिशा जाँच लें, ताकि चिंगारियाँ आसपास के घरों, लोगों या ज्वलनशील पदार्थों तक न पहुँचें।

क्या न करें:

* घरों के अंदर, खिड़कियों, बालकनियों या सीमित स्थानों के निकट कभी भी पटाखे न जलाएँ।
* पटाखे जलाते समय ढीले या अत्यधिक ज्वलनशील कपड़े न पहनें।
* सूखी पत्तियों, गैस सिलेंडरों, ईंधन भंडारण क्षेत्रों, वाहनों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के निकट कभी भी पटाखे न जलाएँ।
* जो पटाखा नहीं फटा हो, उसे दोबारा जलाने का प्रयास न करें। कुछ समय प्रतीक्षा करें तथा उसे पानी में भिगोने के बाद सावधानीपूर्वक नष्ट करें।
* ऐसे स्थानों पर पटाखे न जलाएँ जहाँ वे प्रवेश द्वारों, निकास द्वारों या आपातकालीन निकासी मार्गों में बाधा उत्पन्न कर सकते हों।
* तेल के दीपक, मोमबत्तियाँ या दीये जलाकर कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें, विशेषकर पर्दों, फर्नीचर या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के निकट।
* एक साथ या एक–दूसरे के बहुत निकट कई पटाखे जलाने से बचें।

किसी भी आग दुर्घटना, जलने की चोट या आपातकालीन स्थिति में तत्काल संबंधित आपातकालीन सेवाओं से सहायता प्राप्त करें तथा उचित चिकित्सा उपचार लें। असुरक्षित बचाव कार्य या अप्रमाणित घरेलू उपचारों का प्रयास न करें।

ख. अस्थायी पटाखा दुकानों एवं विक्रेताओं के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ

आतिशबाजी की सामग्री रखने, भंडारण करने एवं बिक्री करने वाले सभी व्यक्तियों को विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों, विशेषकर लागू होने वाले नियम 84 एवं 85 का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है। निम्नलिखित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएँ:

* आतिशबाजी की सामग्री केवल गैर–ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित शेडों में रखी जाए। अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए ऐसे शेड उचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रखे जाएँ।
* प्रत्येक अस्थायी पटाखा दुकान दूसरी दुकान से कम से कम 3 मीटर तथा विस्फोटक नियम, 2008 में निर्दिष्ट संरक्षित स्थलों एवं अन्य स्थानों, जिनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमाघर, बाज़ार, कारखाने, पूजा स्थल, राजमार्ग, सार्वजनिक सड़कें एवं उच्च तनाव वाली विद्युत की ऊपरी तारें शामिल हैं, से कम से कम 50 मीटर दूर स्थित होनी चाहिए।
* अस्थायी पटाखा दुकानें एक–दूसरे के आमने–सामने नहीं होनी चाहिए।
* शेडों के अंदर या निर्धारित सुरक्षा दूरी के भीतर तेल के दीपक, गैस के दीपक या खुली आग की अनुमति नहीं होगी।
* जहाँ विद्युत प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, वहाँ बत्तियाँ दीवारों या छत पर स्थायी रूप से लगाई जाएँ तथा उन्हें लचीले तारों से लटकाया न जाए। स्विच दीवारों पर मजबूती से लगाए जाएँ तथा शेडों की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मुख्य स्विच की व्यवस्था की जाए।
* किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी की सामग्री का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
* अस्थायी पटाखा दुकानों के एक समूह में दुकानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
* जिन दुकानों में अन्य सामान प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा। पटाखों को चिंगारीरोधी पात्रों या उनकी मूल बाहरी पैकेजिंग में रखा जाए।
* आतिशबाजी की सामग्री को नियमित दुकान के आवागमन वाले क्षेत्रों से अलग तथा ज्वलनशील या दहनशील पदार्थों से दूर रखा जाए।
* बिक्री के लिए खोले गए पटाखों को तत्काल स्वच्छ, धूलरहित एवं चिंगारीरोधी पात्रों में रखा जाए।

ग. अग्निशमन व्यवस्था एवं प्रशिक्षण

सभी अस्थायी पटाखा दुकानों एवं उनके आयोजकों को अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के परामर्श से पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सभी दुकानदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के उचित संचालन एवं उपयोग संबंधी बुनियादी प्रशिक्षण दिलाएँ तथा निकटतम अग्निशमन केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करें, ताकि आग की आपातकालीन स्थिति में वे तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम हों।

अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ सभी द्वीपवासियों, दुकानदारों, आयोजकों एवं संबंधित अधिकारियों से सहयोग करने तथा निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील करती हैं।

आइए, आग दुर्घटनाओं को रोककर, जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करके तथा सभी के लिए सुरक्षित एवं खुशहाल दीपावली सुनिश्चित करके इस पर्व को ज़िम्मेदारीपूर्वक मनाएँ।

सुरक्षित दीपावली ही खुशहाल दीपावली है!

त्योहारों के दौरान पटाखों की दुकानों पर कानूनी माप विज्ञान विभाग की औचक जांच, कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, त्योहारों के वर्तमान मौसम के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कानूनी माप विज्ञान प्रभाग ने 5 नवंबर, 2026 को आईटीएफ ग्राउंड स्थित पटाखों के प्रमुख खुदरा एवं थोक विक्रय प्रतिष्ठानों में व्यापक औचक जांच अभियान चलाया।

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने एवं पैकेटों पर भ्रामक जानकारी देने जैसी गतिविधियों को रोकना था। जांच के दौरान प्रवर्तन दल ने निम्नलिखित अनिवार्य मानकों के अनुपालन की जांच की:

– **अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का अनुपालन:** निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत वसूलने के मामलों की सख्ती से जांच की गई। साथ ही, कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्य संबंधी स्टीकर लगाने अथवा दोबारा स्टीकर चिपकाने की गतिविधियों पर भी नज़र रखी गई।

– **अनिवार्य घोषणाएं:** यह सुनिश्चित किया गया कि पटाखों के सभी पैकेटों पर निर्माता का नाम एवं पता, शुद्ध मात्रा, निर्माण/पैकिंग का माह एवं वर्ष तथा उपभोक्ता सहायता संबंधी विवरण जैसी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित हों।

– **दोहरा एमआरपी एवं छेड़छाड़:** पैकेटों पर दोहरे मूल्य अंकित करने अथवा मुद्रित घोषणाओं में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने की जांच की गई।

अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध मामले दर्ज़ किए गए। नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यापारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उल्लंघनों में सुधार करने के लिए सुधारात्मक नोटिस भी जारी किए गए।

उपभोक्ता मामले एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पटाखों के सभी निर्माताओं, आयातकों, पैकिंगकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि वे सभी अनिवार्य घोषणाओं वाले पैकेटों की बिक्री उचित मूल्य पर ही करें। किसी भी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर कानून के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त विज्ञप्ति में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे खरीदारी करने से पहले उत्पाद के पैकेट पर अंकित सभी अनिवार्य जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें। नियमों का उल्लंघन, अधिक कीमत वसूलने अथवा पैकेट पर अनिवार्य घोषणाएं अंकित नहीं होने के संबंध में शिकायत दर्ज़ कराने के लिए उपभोक्ता विभाग से लिखित रूप में अथवा उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 18003453197 या दूरभाष संख्या 03192–230337 पर संपर्क कर सकते हैं।

अनिम्स को शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए एमडी/एमएस की 20 स्नातकोत्तर सीटों की मिली स्वीकृति

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स), श्री विजयपुरम को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) पाठ्यक्रमों की 20 सीटें स्वीकृत की गई हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीट–पीजी 2026 की मेरिट के आधार पर अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) एवं राज्य कोटा की काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। स्वीकृत कुल 20 सीटों में से अखिल भारतीय कोटे की 10 सीटें चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएंगी, जबकि शेष 10 सीटें राज्य कोटे के अंतर्गत अनिम्स द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाएंगी।

राज्य कोटे की 10 सीटों के लिए केवल नीट–पीजी 2026 में उत्तीर्ण अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इन सीटों का आवंटन स्थानीय अभ्यर्थियों के बीच संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

1. श्रेणी–I : जनजातीय समुदाय के अभ्यर्थी।
2. श्रेणी–IIIA: वर्ष 1942 से पहले द्वीपों में बसाए गए निवासी।
3. श्रेणी–IIIB: द्वीपों के पुनः अधिग्रहण के बाद शुरू की गई विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के अंतर्गत बसाए गए निवासी।
4. श्रेणी–IV: अन्य स्थानीय निवासी, जिन्होंने द्वीपों में 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अनिम्स में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट–पीजी 2026 में उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्दपपउेण्दकंउंददपबवइंतण्हवअण्पद के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों की अनंतिम एवं अंतिम मेरिट सूची संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा संस्थान के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम निम्नानुसार है:

महत्वपूर्ण तिथियां एवं प्रवेश कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि एवं समय
विवरणिका–सह–आवेदन पत्र उपलब्ध होना	7 नवंबर, 2026
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत	7 नवंबर, 2026
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	17 नवंबर, 2026
अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	18 नवंबर, 2026
अपील/शिकायतें प्रस्तुत करना	19 नवंबर, 2026
अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	20 नवंबर, 2026
द्वितीय चरण की काउंसलिंग एवं दस्तावेजों का सत्यापन	23 नवंबर, 2026
द्वितीय चरण में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	30 नवंबर, 2026
तृतीय चरण की काउंसलिंग एवं दस्तावेजों का सत्यापन	12 दिसंबर, 2026
तृतीय चरण में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	18 दिसंबर, 2026
रिक्त सीटों के लिए विशेष चरण (यदि आवश्यक हो)	24 दिसंबर, 2026
विशेष चरण में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि	31 दिसंबर, 2026
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2026–27 का प्रारंभ	20 नवंबर, 2026

अभ्यर्थी कार्यालय समय के दौरान प्रवेश प्रकोष्ठ, एएनआईआईएमएस से दूरभाष संख्या 03192–230258 पर संपर्क कर सकते हैं।

CBSC EXAM: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से, 46 लाख से अधिक छात्र देंगे परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा से करीब 101 दिन पहले ही विस्तृत समय–सारिणी जारी कर दी है, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस बार 10वीं कक्षा में 83 विषयों और 12वीं कक्षा में 121 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। विस्तृत समय–सारिण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सीबीएसई ने 6 नवंबर को सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को जारी पत्र में बताया कि परीक्षा की समय–सारिणी तैयार करने से पहले विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विषयों, प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तारीखों और परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की संख्या सहित कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 12वीं कक्षा के 19.8 लाख से अधिक और 10वीं कक्षा के 26.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस तरह दोनों कक्षाओं में कुल 46.3 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

परीक्षा की समय–सारिणी तैयार करते समय उन विषयों के बीच पर्याप्त अंतर रखा गया है, जिन्हें विद्यार्थी अक्सर एक साथ चुनते हैं। इससे विद्यार्थियों को एक विषय की परीक्षा के बाद दूसरे विषय की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। सीबीएसई ने 12वीं के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संभावित कार्यक्रम को भी ध्यान में रखा है। बोर्ड ने प्रयास किया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इन प्रवेश परीक्षाओं के शुरू होने से पहले पूरी हो जाएं। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ–साथ आगे की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने में भी सुविधा होगी।

बोर्ड ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम बनाते समय किसी एक दिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या का भी आकलन किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा, परीक्षा कार्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को लंबे समय तक अपने विद्यालयों से दूर न रहना पड़े। इससे विद्यालयों की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित नहीं होंगी।



सीबीएसई ने बताया कि समय–सारिणी तैयार करते समय 40 हजार से अधिक विषय संयोजनों को ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी विद्यार्थी के चुने हुए दो विषयों की परीक्षाएं एक ही दिन न पड़ें। बोर्ड की सभी परीक्षाएं भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होंगी। समय–सारिणी पहले जारी करने से विद्यार्थियों और स्कूलों को फायदा होगा।

सीबीएसई के अनुसार, इस बार समय–सारिणी पहले जारी करने से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने का अवसर मिलेगा। इससे परीक्षा को लेकर तनाव कम करने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी, उनके परिवार और शिक्षक गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपनी यात्राओं और अन्य गतिविधियों की योजना भी परीक्षा तथा मूल्यांकन कार्यक्रम को ध्यान में रखकर बना सकेंगे। विद्यालयों को भी बोर्ड परीक्षाओं की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक योजना और विद्यार्थियों की सहायता से जुड़ी व्यवस्थाएं पहले से तैयार करने का समय मिलेगा।

वहीं, परीक्षा केंद्रों के रूप में निर्धारित विद्यालयों को आवश्यक इंतजाम और अपनी नियमित गतिविधियों की योजना बनाने में सुविधा होगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय–सारिणी समय पर जारी करना विद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों की सूची जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के कारण संभव हो पाया है। विद्यार्थियों के विषय संयोजनों से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद ही अंतिम परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया।

इग्नू शिक्षार्थियों के लिए दिसंबर 2026 सत्रावधि परीक्षा के हॉल टिकट जारी

श्री विजयपुरम, 6 नवम्बर।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने 'समर्थ पोर्टल' के माध्यम से दिसंबर, 2026 की सत्रावधि परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 25 नवंबर, 2026 से शुरू होने वाली हैं। जिन शिक्षार्थियों ने दिसंबर, 2026 की सत्रावधि परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उनसे अनुरोध है कि वे समर्थ पोर्टल ((https://ignou.samarth.edu.in/index.php/site/login) पर जाकर अपना हॉल टिकट/एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसके लिए उन्हें उसी लॉगिन आईडी का उपयोग करना होगा, जो उन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय बनाई थी।

शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड/हॉल टिकट पर दी गई सभी जानकारियों–जैसे नामांकन संख्या, प्रोग्राम, परीक्षा केंद्र, कोर्स कोड, परीक्षा की तारीखें और सत्र को ध्यानपूर्वक जांच लें। साथ ही, हॉल टिकट में दिए गए निर्देशों को भी अच्छी तरह पढ़ लें। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा केंद्र पर जाते समय शिक्षार्थियों को अपने हॉल टिकट की प्रिंटेड कॉपी और अपना वैध इग्नू पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। आवश्यक दस्तावेज़ दिखाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी शिक्षार्थी को इग्नू दिसंबर 2026 सत्रावधि परीक्षा के संबंध में कोई सहायता या जानकारी चाहिए, तो वे श्री विजयपुरम स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र से अथवा लैंडलाइन नंबर–03192–230111/242888, ईमेल rcportblair@ignou.ac.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

द्वितीय सीआरसी प्राथमिक स्तरीय वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता 13 नवंबर को

श्री विजयपुरम, 6 नवंबर।

दक्षिण अण्डमान के उप शिक्षा कार्यालय का खेल अनुभाग 13 नवंबर को प्रातः 8.30 बजे से नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम में बालक एवं बालिकाओं के लिए द्वितीय सीआरसी प्राथमिक स्तरीय वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में शारीरिक फिटनेस, खेल भावना तथा उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। विभिन्न प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समूह–ए के तहत बालवाटिका–1 तथा बालवाटिका–2 के लिए लड़कों के लिए 50 मीटर स्प्रिन्ट, स्वीट कलेक्शन, लड़कियों के लिए 50 मीटर स्प्रिन्ट, स्वीट कलेक्शन, समूह–बी के तहत बालवाटिका–3 तथा पहली कक्षा के लिए लड़कों के लिए 75 मीटर स्प्रिन्ट, फ्लाग रेस, गेट रेडी फॉर स्कूल तथा लड़कियों के लिए 75 मीटर स्प्रिन्ट, फ्लाग रेस, बलून बर्स्टिंग, समूह–सी के तहत दूसरी और तीसरी कक्षा के लिए लड़कों के लिए 100 मीटर स्प्रिन्ट, 200 मीटर स्प्रिन्ट, लांग जम्प, 4 गुना 100 मीटर रिले रेस तथा लड़कियों के लिए 100 मीटर स्प्रिन्ट, 200 मीटर स्प्रिन्ट, लांग जम्प, 4 गुना 100 मीटर रिले रेस (प्रत्येक सीआरसी से युगल दो लड़के तथा दो लड़कियां), समूह–डी के तहत कक्षा चौथी और 5वीं के लिए लड़कों के लिए 100 मीटर स्प्रिन्ट, 400 मीटर स्प्रिन्ट, लांग जम्प, 4 गुना 100 मीटर रिले रेस तथा लड़कियों के लिए 100 मीटर स्प्रिन्ट, 200 मीटर स्प्रिन्ट, लांग जम्प, 4 गुना 100 मीटर रिले रेस (प्रत्येक सीआरसी से युगल दो लड़के तथा दो लड़कियां)। इसके अलावा ओपन टू ऑल के तहत कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के लिए रस्साकशी (टग ऑफ वॉर) का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक सीआरसी से 6 लड़के व 6 लड़कियां भाग ले सकेंगी।

फा. सं.A-12/1/2026-Confi.Cell-A-EDN_AN/284
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजय पुरम, दिनांक 05 नवम्बर, 2026

प्रेस सूचना

यह सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री विजय पुरम के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य (Headmaster (Secondary Schools)/Vice Principal) समूह 'A', राजपत्रित, मंत्रालयेत्तर पद के लिए मसौदा भर्ती नियम (Draft Recruitment Rule) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट https://andamannicobar.gov.in/ पर अपलोड कर दिए गए हैं।

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में सभी हितधारकों से दावे/आपत्तियाँ (यदि कोई हों) आमंत्रित किए जाते हैं।

दावे/आपत्तियाँ इस प्रेस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर ई–मेल के माध्यम से recruitment.ednani@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

प्रेस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त

ह./–
उप सचिव (शिक्षा)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजयपुरम, दिनांक 05 नवम्बर, 2026

संख्या..... F.No. A-12/1/2026-Confi.Cell-A-EDN_AN/149639 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या यू–14939/2/83–ए.एन.एल (समूह 'क' राजपत्रित पदों के संबंध में) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/13/2016-Estt. (RR) दिनांक 09/08/2016 के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग ;UPSC)] नई दिल्ली की स्वी.ति, जो उनके पत्र संख्या F.No.3/30(6) दिनांक 29 जुलाई, 2022 के माध्यम से संसूचित की गई है, प्राप्त होने के उपरांत तथा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 दिनांक 04/10/2022 का अधिक्रमण करते हुए, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के उप राज्यपाल (प्रशासक) एतद्वारा शिक्षा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में सृजित प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य के समूह 'क' (राजपत्रित, अराजपत्रित–मंत्रालयिकेतर) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

हितधारकों/इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त नियमों के संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो, तो उसे आधिकारिक वेबसाइट पर इसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर निदेशक, शिक्षा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्यालय में विचारार्थ प्राप्त हो जाना चाहिए।

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ** :–

क) इन नियमों को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, शिक्षा विभाग, प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) /उप–प्रधानाचार्य (समूह 'क', राजपत्रित, अराजपत्रित–मंत्रालयिकेतर पद) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

ख) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :–

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं (योग्यताएँ) :–

उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, तथा अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएँ** :–

कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:–

क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है

या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो। वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उप–राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को यह संतुष्टि हो कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. **ढील देने की शक्ति** :–

जहां उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. **व्यावृत्ति** :–

इन नियमों की कोई भी बातें ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

ह./–
उप–सचिव (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

शिक्षा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य के पद हेतु भर्ती नियमों का प्रारूप

1.	पद का नाम	**प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य**
2.	पदों की संख्या	68* (अड़सठ) *2026* प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) – 28 पद उप प्रधानाचार्य – 40 पद *(कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मेट्रिक्स मे स्तर (वेतनमान)	वेतन मेट्रिक्स–10 (रूपए 56,100 से 1,77,500/–)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	पदोन्नत के लिए 02 (दो) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा नही होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदोन्नति –** स्नातकोत्तर शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय), वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 (रु. 47,600–1,51,100) या उससे ऊपर के लेवल में कार्यरत, जिन्होंने संबंधित ग्रेड में न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो तथा जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हों– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि। **तथा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा दो वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ एक वर्षीय ब्रिज कोर्स। **तथा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में स्नातक उपाधि। **नोट 1** :– पदोन्नति हेतु पात्रता सूची संबंधित ग्रेड/पद में निर्धारित अर्हक सेवा पूर्ण करने की तिथि के संदर्भ में तैयार की जाएगी। **नोट 2** :– जहाँ निर्धारित अर्हक सेवा/पात्रता सेवा पूर्ण कर चुके कनिष्ठ अधिकारियों पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे निर्धारित अर्हक सेवा/पात्रता सेवा की अवधि में आधी अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक कम न हों तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु निर्धारित परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:–** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों मे कार्यरत अधिकारी जो :– **(क)** (i) नियमित आधार पर अनुरूप अधिकारी। **अथवा** (ii) वर्तमान संवर्ग /विभाग मे वेतन मैट्रिक्स मे स्तर–9 (रु. 53,100–1,67,800) अथवा समतुल्य वेतन मे नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों। **अथवा** (ii) वर्तमान संवर्ग/विभाग मे वेतन मैट्रिक्स मे स्तर–8 (रु. 47,600–1,51,000) अथवा समतुल्य वेतन मे नियमित आधार पर चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों। **तथा** **(ख)** निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखते हों– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्षीय स्नातक उपाधि अथवा दो वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ एक वर्षीय ब्रिज कोर्स। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से शिक्षा में स्नातक उपाधि। (iii) किसी मान्यताप्राप्त मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन का पाँच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** :– (i) किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दो (02) वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। (i) कक्षा 10 में हिंदी विषय का अध्ययन किया हो।
12.	यदि डी.पी.सी. (DPC) मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति– पदोन्नति पर विचार करने हेतु** 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य – अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य 3. सचिव (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य 4. निदेशक (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन – सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति – पुष्टि पर विचार करने हेतु** 1. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन– अध्यक्ष 2. सचिव (शिक्षा), अण्मान तथा निकोबार प्रशासन– सदस्य 3. निदेशक (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन– सदस्य
13.	परिस्थितियां जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	पदोन्नति के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

भर्ती नियमावली का अनुलग्नक
प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय)/उप–प्रधानाचार्य, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालय के समग्र शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सह–पाठ्यचर्या संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा निम्नलिखित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे :–

1. प्रशासन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक कैलेंडर, अधिगम प्रतिफल एवं शैक्षिक नीतियों का कार्यान्वयन तथा शैक्षणिक समन्वय करना।
2. विद्यालय की समय–सारणी तैयार करना एवं उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, शैक्षणिक कार्यों का आबंटन करना तथा उपलब्ध शिक्षण कर्मचारियों एवं शैक्षिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
3. विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन एवं उनके समग्र विकास की निगरानी करना।
4. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में सह–पाठ्यचर्या, खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करना।
5. विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सुविधाओं, शिक्षण–अधिगम सामग्री, खेलकूद सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों का विकास एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
6. विद्यालय परिसर, फर्नीचर, उपकरणों एवं अन्य संपत्ति का भौतिक रखरखाव, स्वच्छता एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
7. विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना।
8. विद्यालयी शिक्षा तथा राष्ट्रीय हित से संबंधित भारत सरकार एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
9. प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति के दौरान सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन, विशेष रूप से सौंपे जाने पर प्रधानाचार्य की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करना।
10. प्रधानाचार्य अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करना।

नोट:– उपर्युक्त निर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व केवल उदाहरणात्मक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी, लागू नियमों एवं अनुदेशों के अधीन, पद से संबंधित अथवा विद्यालय के कुशल संचालन हेतु आवश्यक अन्य आनुषंगिक कर्तव्य भी सौंप सकता है।

ह./–
उप–सचिव (शिक्षा),
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

शपथ पत्र

मैं, SOURAB CHAKRABORTHY, पुत्र SUBIR CHAKRABORTHY, निवासी श्यामनगर, स्वराजद्वीप (हैवलॉक), दक्षिण अण्डमान जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पिन–744211, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता हूँ : –

1. कि मेरा सही नाम SOURAB CHAKRABORTHY, मेरे पिता का सही नाम SUBIR CHAKRABORTHY तथा मेरी माता का सही नाम JABA CHAKRABORTHY है, जैसा कि मेरे सभी सहायक दस्तावेजों एवं आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज है।
2. कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम SOURAB CHAKRABARTHY, मेरे पिता का नाम SUBIR CHAKRABARTHY तथा मेरी माता का नाम JABA CHAKRABARTHY दर्ज किया गया है, जबकि उनके सही नाम ऊपर उल्लिखित अनुसार हैं।
3. कि मैं एतद्वारा अनुरोध करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम SOURAB CHAKRABORTHY ,मेरे पिता का नाम SUBIR CHAKRABORTHY तथा मेरी माता का नाम JABA CHAKRABORTHY सही रूप से दर्ज किया जाए।
4. कि मेरे पूर्व पासपोर्ट आवेदन के समय, मेरे द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा पत्र (Self-Declaration) में अनजाने में मैं अपना नाम SOURAB CHAKRABARTHY लिख दिया गया था, जिसके कारण मेरे पासपोर्ट में गलत वर्तनी दर्ज हो गई। मैं एतद्वारा स्पष्ट करता हूँ कि SOURAB CHAKRABARTHY तथा SOURAB CHAKRABORTHY एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा मेरा सही नाम SOURAB CHAKRABORTHY है। यह कि उपरोक्त सभी कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान: श्री विजय पुरम
दिनांक: 08.10.2026
शपथकर्ता

ई–निविदा सूचना

F.No. E 149471 M-13/29/2026/4264 दिनांक 06.11.2026

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स संख्या 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है भले हो उनकी सूची इस शर्तें पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/26–27/टीडी – 21
कार्य का नाम: डॉल्फिन रिज़ॉर्ट, स्वराज द्वीप के पब्लिक यूटिलिटी एरिया में टॉयलेटरी और सैनिटरी फिटिंग का प्रतिस्थापन ।
अनुमानित लागत : रु. 2,89,822/–
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं
बयाना राशि : रु. 5,800/–
कार्य पूर्णकरने कीअवधि : 45 दिन
निविदा दस्तावेज़ प्रकाशन तिथि : 06.11.2026
निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड/आरंभ तिथि : 07.11.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज़ जमा करने की आरंभ तिथि : 11.11.2026 पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज़जमाकरने की अंतिम तिथि : 16.11.2026 अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 17.11.2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे
निविदा प्रपत्र और एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://procure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
निविदा आईडी : 2026_ANCVL_25776_1

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

होमस्टे संचालकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम

श्री विजयपुरम, 5 नवंबर। पर्यटन विभाग द्वारा होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (आईएचएम), मुंबई के सहयोग से आरएएमपी योजना के अंतर्गत होमस्टे संचालकों के लिए छह दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 21 नवंबर तक डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), डॉलीगंज के होटल प्रबंधन विभाग में आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान होमस्टे संचालकों, होमस्टे संचालन शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों तथा उनके कर्मचारियों को होमस्टे संचालन के लिए आवश्यक पाक–कला कौशल, भोजन की प्रस्तुति एवं स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। प्राप्त विज्ञप्ति में सभी पंजीकृत एवं इच्छुक होमस्टे संचालकों तथा उनके कर्मचारियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी सेवा संबंधी दक्षता एवं मानकों को बेहतर बनाने का आग्रह किया गया है। इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र लिंक https://forms.gle/mnePf5YkffAUE7bJ8 के माध्यम से अपना पंजीकरण कराएँ।

अधिक जानकारी के लिए पर्यटन विभाग के योजना अनुभाग से ई–मेल tourismplanning2013@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।